



संख्या-1437/9-9-09-1 नियम/09

प्रेषक,  
आलोक रंजन,  
प्रमुख सचिव,  
उ.प्र. शासन।

सेवा में,  
नगर आयुक्त,  
नगर निगम,  
कानपुर।

नगर आयुक्त  
नगर निगम

116

नगर निगम  
कानपुर-उ.प्र.

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 22 जुलाई, 2009

विषय:- नगर निगम कानपुर में गृहकर का पुनरीक्षण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित कृपया शासकीय पत्रांक-469/9-9-09-1 नियम/09, दिनांक 02 मार्च, 2009 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा नगर निगम में गृहकर पुनरीक्षण की कार्यवाही नगर आयुक्त की मांमले में विस्तृत आख्या प्राप्त होने तक के लिए स्थगित की गयी थी। आपके पत्रांक-2820/3/प, दिनांक 09.03.09 द्वारा इस संबंध में उपलब्ध करायी गयी विस्तृत आख्या पर गंभीरतापूर्वक सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निगम की गृहकर की पुनरीक्षण की कार्यवाही स्थगित करने विषयक उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 02 मार्च, 2009 को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। कृपया गृहकर पुनरीक्षण की कार्यवाही नियमानुसार प्रारम्भ करने का कष्ट करे।

भवदीय,

( आलोक रंजन )  
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

मण्डलायुक्त कानपुर मण्डल कानपुर।

जिलाधिकारी कानपुर नगर।

निदेशक स्थानीय निकाय, उ.प्र. लखनऊ।

आज्ञा से,

( आलोक रंजन )  
प्रमुख सचिव।

S.O.U.S